

## प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-I का कार्यालय, महाराष्ट्र

सं.प्रशा-1/पदोन्नती/ले.लि./2025/148

दिनांक: 24-12-2024

### कार्यालय आदेश

केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के वेतन मैट्रिक्स (19900-63200) के वेतन स्तर 2 में वरिष्ठता कोटा में वर्तमान रिक्तियों के तहत 01-01-2025 से या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, लेखा लिपिक के संवर्ग में निम्नलिखित विविध कार्य कर्मचारी (MTS) को पदोन्नत किया जाता है:

The following Multi Tasking Staff are promoted to the cadre of Accounts Clerk in Level 2 (Two) in the Pay Matrix (19900-63200) of CCS (Revised Pay) Rules 2016 under Seniority quota with effect from 01-01-2025 or the date of assumption of charge whichever is later:

Sl. No.	Name of the MTS
1.	Shri M. P. Kubal
2.	Shri Rajesh V. Rawale

कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबन्धित शाखा अधिकारी के माध्यम से प्रशासन-1 अनुभाग को अग्रेषित किया जाए।

The report of assumption of charge may be forwarded to Admn-I Section through the Branch Officer concerned.

उपर्युक्त कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना [MACPS] के अंतर्गत दूसरी आर्थिक बढोतरी मंजूर किया गया है और वे लेवल 3 पर वेतन आहरण कर रहे हैं। अतः उपरोक्त कर्मियों को आगे वेतन नियतन प्रदान नहीं किया जायेगा।

The above MTS have been granted 2<sup>nd</sup> financial up-gradation under MACPS and are drawing pay in Level 3. Hence no further fixation is admissible to them.

उपर्युक्त कर्मियों को केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29-09-1992 के पैरा 2 (2) के अनुसार टंकलेखन परीक्षा से छूट दी गयी है।

They are also exempted from appearing for the typing test as per para 2 (2) of DoPT OM No.14020/2/91-Estt (D) dated 29-09-1992.

केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/05/2009 के अनुलग्नक के पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति के लिए मना करने पर, संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत उनको वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

In the event of refusal of promotion, they will not be eligible to be considered for financial up-gradation under the MACPS in terms of para 25 of Annexure to DoPT O.M. dated 19-05-2009.



उपरोक्त पदोन्नति आगे के आदेशों के अधीन है जो केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 में संदर्भित विशेष अनुमति याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

The above promotion is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of the Special Leave Petition as referred to in DoPT O.M. No. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018.

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार का आदेश दिनांक: 24-12-2024 )

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं.प्रशा-1/पदोन्नति/ले.लि./2025/786

दिनांक : 24-12-2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव
2. समूह अधिकारियों के आशुलिपिक - ग्रेड 2
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रशा.-2-3/स्थापना/अभिलेख -1, 2/आं.ले.प./प्रशिक्षण
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, टी.एम. /पी.एफ.(विविध)/पेंशन(विविध)
5. भुगतान व लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा, मुंबई 400 020
- ✓ 6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी / ईडीपी (एस जी) कार्यालय की वेबसाइट में आदेश अपलोड करने के लिए
7. संबंधित विविध कार्य कर्मचारी (MTS)
8. महासचिव, लेखा श्रेणी- III एसोसिएशन, मुंबई
9. अतिरिक्त प्रतियाँ

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन-I